न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 62/2024

दायर दिनांक–27.05.2024

1. सुमित्रा पुत्र मांगू जाति जाट निवासी टोक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. मांगू पुत्र लादू
2. ओमप्रकाश पुत्र मांगू
3. भगवाना पुत्र मांगू
4. बाबूलाल पुत्र मांगू
5. रामकरण पुत्र लादू
6. शिवलाल पुत्र लादू
   6/1 तारामणी पत्नी शिवलाल
   6/2 मनेश पुत्री शिवलाल
   6/3 राजेश पुत्र शिवलाल
   6/4 विजेन्द्र पुत्र शिवलाल
   6/5 संतरा पुत्री शिवलाल
   6/6 सुमन पुत्री शिवलाल समस्त जाति जाट निवासी टोक ढाका की ढाणी, टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7. शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री अमरसिंह शेखावत
वकील अनावेदकगण :– श्री विप्लव पंडित

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 30.07.2024

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 138, 140, 148, 151, 152 रकबा क्रमशः 0.0300, 0.5000, 0.7500, 0.0600, 0.3300 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6400 है0 भूमि स्थित है जो आवेदिका व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6/6 की पैतृक सहदायिक संपति है। उक्त भमि आवेदिका व अनावेदक सं0 1 लगायत 6/6 को स्व0 लादू के वारिसान होने के कारण से प्राप्त हुई है जिसमें आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगायत 6/6 का शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे आगे प्रा0 पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

स्व0 लादू के देहान्त होने के पश्चात् अनावेदक सं0 1 के नाम गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज होने के कारण से आवेदिका को पैतृक संपति से वंचित करने पर अमादा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 लादू के विधिक वारिसान होने के कारण से उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त है। गलत राजस्व रिकॉर्ड बने होने के कारण आवेदिका के हक अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। ना ही आवेदिका को उसके हक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। आवेदिका का विवादग्रस्त भूमि में 1/15 हिस्सा है जिसकी घोषणा करवाने हेतु आवेदिका ने घोषणा का वाद पेश किया है।

अनावेदक सं0 1 की नियम में फर्क आ गया है जिस कारण गलत बने राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में आवेदिका के हक अधिकारों से किसी भी क्षण वंचित किया जा सकता है। यदि अनावेदक सं0 1 अपनी नाजायज मंशा में सफल हुए तो आवेदिका को अपार क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त में तथा गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में किसी प्रकार की बाधा अनावेदक सं0 1 न तो स्वयं उत्पन्न करें ना किसी अन्य से करवायें ना ही किसी को किसी भी तरीके से अंतरण करें। आवेदिका को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री विप्लव पंडित उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को आवेदिका ने पैत्रिक संपति होना गलत दर्ज किया है। वादग्रस्त संपति स्व0 लादू की स्वअर्जित संपति है जो तत्कालीन जागीरदार से लगान के बदले प्राप्त की है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के उपरांत लादू ने कानूनन भूमि को प्राप्त किया है लो लादू की स्वअर्जित संपति मानी जायेगी। लादू के फौत होने पर लादू की स्वअर्जित संपति लादू के वारिसानों को प्राप्त हुई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई संपति पिछली तीन पीढियों में गुजरनें के पश्चात चतुर्थ पीढी में आये वो संपति पैत्रिक संपति कहलाती है इसलिए विवादित वादग्रस्त संपति लादू की स्वअर्जित संपति मानी जायेगी। तथा लादू के उपरांत मांगू को प्राप्त होने वाली संपति भी स्व अर्जित संपति मानी जायेगी। आवेदिका अनावेदक संख्या 1 की कोपार्सनर नही है ना ही वादग्रस्त भूमि आवेदिका के लिए पैतृक संपति है फलस्वरूप आवेदिका ने विधि द्वारा वर्जित प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

आवेदिका अपने ससुराल में निवास करती है तथा उक्त भूमि को आवेदिका ने कभी भी काश्त नही किया है। आवेदिका ने वंशावली भी गलत दर्ज की है। लादू की दो पुत्रियां बरजी व मघी है जिनको आवेदिका ने वंशावली में नही दर्शाया है। बरजी व मघी वाद मे आवश्यक पक्षकार है। आवेदिका के वाद/प्रार्थना पत्र में नॉन जाईन्डर ऑफ प्रार्टीज का नुक्स है जो धारा 211 राज0 काश्तकारी अधिनियम व आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के प्रोविजों के तहत प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

आवेदिका ने वादग्रस्त भूमि में पीढी दर पीढी कब्जा काश्त होने का कथन गलत पेश किया है। आवेदिका ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के बाबत कुछ भी दर्ज नही किया है। राजस्व रिकॉर्ड सही बना हुआ है तथा लादू के फौत होने के उपरांत प्रथम अनुसूची के वारिस होने के परिणाम स्वरूप राजस्व रिकॉर्ड लादू के वारिसों के नाम दर्ज हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड सही बना हुआ है जिसे दुरूस्त करवाने का कोई औचित्य नही है।

आवेदिका ने तथाकथित रूप से सहदायिक सदस्य होना क्लेम करके अपना तथाकथित हिस्सा घोषित करवाने आई है है जहां कोई पक्षकार यह कथन करे कि वह सहदायिक सदस्य है वहां उस पक्षकार को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि किन किन सहदायिक सदस्यों से संयुक्त हिंदू परिवार बना हुआ है। उस संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ताखान दान कौन है और यदि परिवार संयुक्त हिंदु परिवार है तो संयुक्त हिंदू परिवार का राशन कार्ड होता है तथा संयुक्त आय होती है। ऐसा किसी प्रकार का अभिवचन अथवा दस्तावेजी साक्ष्य वाद पत्र में पेश नही किया गया है। आवेदिका एक तरफ तो पैत्रिकता के आधार पर आ रही है तथा दूसरी तरफ सहदायिक प्रोपर्टी का हवाला दे रही है जो एक दूसरे के विरोधाभाषी कथन है।

आवेदिका वादग्रस्त संपति की अभिलिखित खातेदार नही है ना ही कब्जा धारक **है** जबकि अनावेदक सं0 1 अभिलिखित खातेदार है तथा कब्जा धारक है। एक रिकॉर्डेड खातेदार व कब्जा धारक के विरूद्व कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पैत्रिक है। हमने संवत् 2009 से रिकॉर्ड पेश किया है। उक्त भूमि लादू से प्रतिवादीगण को मिली है। मेरा हक हिस्सा उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश किया जावे। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि उक्त भूमि स्व0 लादू को जागीरदार से प्राप्त हुई अतः लादू की स्वअर्जित संपति है। लादू से मांगू को उक्त भूमि मिली है। लादू की पूत्रियों मही व बरजी को पक्षकार नही बनाया है। मांगू कर्ता खानदान है अतः बेच सकता है। लादू फौत हुआ उससे पहले आवेदिका का जन्म नही हुआ था। अतः लादू की संपति में उसका कोई हक अधिकार नही है। लादू की संपति सुमित्रा में न्यायगत नही हुई है। आवेदिका ने विभाजन का दावा पेश नही किया है। संयुक्त परिवार की संपति में बिना विभाजन अपना हिस्सा तय नही करवा सकते है। मौके पर आवेदिका का कब्जा नही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में आवेदिका का नाम दर्ज नही है। रिकॉर्डेड खातेदारों के खिलाफ टी0 आई0 नही दी जा सकती है। रिब्यूटल में प्रार्थी ने कथन किया कि वादी घोषणा के लिए कभी भी न्यायालय में आ सकते है। लादू की मृत्यु कब हुई इसका उल्लेख अनावेदकगण ने नही किया है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

आवेदिका का मुख्य कथन है कि विवादग्रस्त भूमि आवेदक व अनावेदकगण की शामलाती पैत्रिक संपति है जिसमें आवेदिका सहदायिक सदस्य होने से उसका जन्म से ही 1/15 हिस्सा है जिसकी वह घोषणा करवाना चाहती है तथा ताफैसला दावा अनावेदकगण को राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करवाना चाहती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका ने उक्त विवादग्रस्त भूमि के पैत्रिक संपति होने तथा इस पैतृक संपति में सहदायिक होने के लिए संपति चार पीढियों तक अविभाजित हो इसके संबंधमें पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है तथा आवेदिका ने प्रा0 पत्र में अपने को सहदायिक सदस्य होने का कथन किया है जिसके संबंध में आवेदिका ने चार पीढियों की वंशावली व परिवार के सदस्यों के संबंध में साक्ष्य पेश नही किये है तथा आवेदिका ने उक्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075–78 से स्पष्ट है कि अनावेदकगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदिका के पक्ष में प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु आवेदिका के विरूद्ध तय किये जाते है।

अपूरणीय क्षति :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदिका के पक्ष में नही होने से अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत नही होती है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/07/24

(इलाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ